30-12-22

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता ... उपस्थित हैं। आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर तौर से तशरीफ रखते हैं। अन्य कार्य में व्यस्त हैं। अधिवक्तागण कन्डोलेन्स पर हैं। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 6-1-23 को पेश हों।

6-1-23

पत्रावली आज पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उप.
अधिवक्ता प्रार्थी ने O-1 R-10 सपठित धारा
151 CPC का प्रार्थना-पत्र पेश किया जिसके
अनुसार प्रार्थी ने संबंधित वादग्रस्त भूमि का
श्री प्रमोद ढाका एच यू एफ पुत्र रामनाथ सिंह
दामिनी ढाका पुत्री डा. प्रमोद ढाका जरिये कर्ता
निवासीगण ब्रज कॉलोनी हवा सड़क सिविल
लाइन्स जयपुर व नीरज सिंह पुत्र श्री राजपाल सिंह
जरिये कर्ता H0166 हनुमान नगर एक्सटेंशन
वैशालीनगर जयपुर को बेचान कर दी है। 32 TDR
एवं समस्त बेचान की गई भूमियो के
समस्त हक अधिकार वर्तमान में उक्त व्यक्तियों
में निहित हैं व प्रकरण के समुचित निस्तारण
के लिए उक्त व्यक्तियों को पक्षकार बनाया
जावे। आपत्ति के अभाव में न्यायहित में
प्रार्थना-पत्र O-1 R-10 CPC स्वीकार किया
जाता है। श्री प्रमोद ढाका एच यू एफ
पुत्र रामनाथ सिंह को प्रार्थी सं. 2 दामिनी
ढाका को प्रार्थी सं. 3 नीरज सिंह को
प्रार्थी सं. 4 के रूप में जोड़ा जाता है।
प्रार्थी अधिवक्ता की आपत्ति पर जवाब/
रिपोर्ट अप्राप्त तहसीलदार को पुनः रिमाइंडर
हेतु तहरीर जारी हो पत्रावली आगामी
दिनांक 27-1-23 को पेश हो।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
27-1-23	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता व पेशकार सरकार उपस्थित। पेशकार सरकार ने विस्तृत रिपोर्ट मय दस्तावेजात पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने रिपोर्ट की तथ्यात्मक प्रमाणिकता को स्वीकार किया जाता है। बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नाबंरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

पीठासीन अधिकारी
श्री युगांतर शर्मा(RAS)

43 / प्रा0प0 / 2017
दायरा दिनांक 06.01.2021

बउनवान

1. मधुसूदन पारिख पुत्र सोहनलाल भैरालाल पारिख जाति ब्राहम्ण नि0 17 / 174 बी,डब्ल्यू 7 ए लेन सैनिक फार्म नई दिल्ली जरिये मुख्तार सुधीर पारिक आ0 बिरधीचन्द पारिख जा0 ब्राहम्ण नि0 मकान नं0 374 मोखापाडा, कैथुनीपोल कोटा राज0।
2. डॉ प्रमोद ढाका एच.यू.त्र.एफ पुत्र रामनाथ सिंह जाति जाट निवारी 23 बृजबिहारी,हवा सड़क सिविल लाइन्स जयपुर राज0।
3. दामिनी ढाका पुत्री डॉ. प्रमोद ढाका जाति जाट निवासी 23 बृजबिहारी,हवा सड़क सिविल लाइन्स जयपुर राज0।
4. नीरज सिंह पुत्र राजेश सिंह जाति जाट निवासी 166 हनुमंत नगर एक्शटेंशन वैशाली नगर जयपुर राज0।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

– अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा 251 क0 आर0टी0एक्ट।

उपस्थित :– 1.श्री धीरज जैन व महेन्द्र रेबारीएडवोकेट(प्रार्थी)।
2 पैरोकार सरकार

–: निर्णय :– **दिनांक :– 27.01.2023**

प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि ग्राम जयनगर स्थित खसरा सं0

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

143/1 रकबा 0.13 हैक्ट0, ख0सं0 155 रकबा 0.07 हैक्ट0, ख0सं0 156 रकबा 2.38 हैक्ट0, ख0सं0 156/296 रकबा 0.40 हैक्ट0,ख0सं0 157 रकबा 0.18 हैक्ट0,ख0सं0 158 रकबा 0.27, ख0सं0 160 रकबा 0.13 कुल किता 7 कुल रकबा 3.56 हैक्ट0 सम्पूर्ण उनकी कब्जे काश्त की सहखातेदारी भूमि है एवं ग्राम जयनगर स्थित ख0सं0 135 रकबा 1.31 हैक्ट0, भी रिर्कोडेड़ हिस्से अनुसार कब्जे काश्त की सहखातेदारी भूमि है।उक्त सहखातेदारी की भूमि में आने–जाने के लिए रास्ता मेगा हाइवे कोटा–लालसोट रोड़ से शुरू होकर प्रार्थी की सहखातेदारी की कृषि भूमि ख0सं0 135 में से होता हुआ सिवायचक भूमि ख0सं0 141 रकबा 0.36 हैक्ट0 किस्म बारानी तृतीय एवं ख0सं0 142 रकबा 0.37 हैक्ट0 किस्म बारानी तृतीय की ग्राम बोहरियागांव के ख0सं0 40 की पश्चिमी मेड के सहारे–सहारे प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि ख0सं0 143/1 में होता हुआ प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0सं0 155 में मिलता है। ख0सं0 143/1 की कृषि भूमि प्राथी ने इस भूमि के पूर्व स्वामीयों से खरीदी थी जो कि खसरा नक्शा ट्रेस ख0सं0 143 की पश्चिमी सीमा पर ख0सं0 40 किस्म गै0मु0बा0 राजकीय सिवायचक (ग्राम जयनगर) से लगवा स्थित है प्रार्थी इसी भूमि से कृषि हेतू अपने सभी यंत्र आदि काफी समय से लाता ले जाता है इस रास्ते के अलावा प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि पर आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है यह रास्ता राजस्व रिर्कोड में अकिंत नही होने से प्रार्थीयान को अत्यंत परेशानी का सामना करना पडता है आस पास के अन्य खेत वाले सिवायचक भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत से प्रार्थी का रास्ता बंद करने की धमकी देते है व आस–पास के खातेदारों द्वारा यदि यह रास्ता बंद कर दिया जाता है तो प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर नही पहुंच सकेगा एवं कृषि कार्य नही कर सकेगा जिससे प्रार्थी की कृषि भूमि पर फसल नही हो सकेगी इसलिये राजकीय सिवायचक भूमि ख0सं0 141 रकबा 0.36 हैक्ट0 व ख0सं0 142 रकबा 0.37 हैक्ट0, ग्राम जयनगर की ख0सं0 40 किस्म गै0मु0खा0 से लगती हुई सीमा व मेड़ के सहारे–सहारे प्रार्थी की कृषि भूमि 143/1 में आने जाने के 20 फीट चौडे रास्ते प्रदान करते हुऐ राजस्व रिर्कोड में अमल करवाने का निवेदन किया है प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया बिन्दुवार जवाब पर रिर्पोट पेश की। जिसके सबंध में स्पष्टीकरण चाहे जाने पर पुनः रिर्पोट पेश की जो कि पूर्ववर्ती जवाब व रिर्पोट से पूर्णतः भिन्न होने के कारण प्रार्थी अधिवक्ता ने आपत्ति करते हुए निवेदन किया कि यह रिर्पोट पूर्व प्रस्तुत रिर्पोटों से पूर्णतः भिन्न है डोटेड लाइन के कदमी रास्ते को रास्ता बताया गया है जो कि उचित नही है और

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

...ड लाइन का रास्ता लघुतम दूरी का रास्ता नही है आपत्ति स्वीकार करते हुए पेरोकार सरकार को स्पष्ट विस्तृत रिर्पोट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जिसपर उनके द्वारा अतिंम रिर्पोट पेश की गयी जिसके अनुसार प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की रिर्कोडेड खातेदारी भूमि पर आने जाने के लिए वैक्लपिक उपयुक्त रास्ता उपलब्ध नही है प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए लघुतम दूरी का उपयुक्त रास्ता मेघा हाइवे से लगते हुये प्रार्थीगण की रिर्कोडेड खातेदारी कब्जे काश्त के ख0सं0 135 से सिवायचक ख0सं0 141 व ख0सं0 142 व अन्य की खातेदारी भूमि ख0सं0 143 के सिवायचक ख0सं0 40 की पश्चिमी सीमा से लगती सीमा के सहारे–सहारे है से लगती हुई सीमा से साथ ही मौके व गत रिर्कोड से यह स्पष्ट किया कि ख0सं0 143 कुल रकबा 0.43 हैक्ट0 ही लट्टा खसरा मैप मे प्रदर्शित है ख0सं0 143/1 की पृथक से तरमीम नही है मूल ख0सं0 143 कुल रकबे मे से 0.13 हैक्ट0 रकबे से पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 23.01.2006 में दर्ज नामान्तकरण संख्या 243 निर्णय दिनांक 06.03.2006 से राजस्व जमाबंदी में दो पृथक–पृथक खसरा सं0 143 रकबा 0.30 हैक्ट0 व 143 रकबा 0.30 हैक्ट0 व ख0सं0 143/1 रकबा 0.13 हैक्ट0 में दर्ज किये गये है मूल ख0सं0 143 कुल रकबा 0.43 हैक्ट0 था उसमें से मूल खातेदार जिसका जो कि वर्तमान के ख0सं0 143 के आज भी खातेदार है के द्वारा ही 0.13 हैक्ट0 का बैचान किया गया था। उक्त पजींकृत बैचाननामें में ख0सं0 143 के बैचे गये रकबे की दिशाये प्रदर्शित/अकिंत नही है नामान्तकरण सं0 243 की पुस्त पर भी किसी प्रकार की तरमीम प्रदर्शित नही है।संभवतः इसी कारण निराधार रूप से सृजित ख0सं0 143/1 की नक्शा लट्टा में तरमीम नही की हुई है।नियमतः ख0सं0 143 कुल रकबा 0.43 हैक्ट0 क्रेता व विक्रेता की संयुक्त खातेदारी होना चाहिए था रिर्पोट में ख0सं0 135, ख0सं0 141 व 142 की मौका स्थिति स्पष्ट करते हुए उसके साथ प्रस्तावित रास्ता प्रदर्शित करते हुआ खसरा ट्रेस, ग्राम जयनगर के नामान्तकरण संख्या 243, जमाबंदी ग्राम जयनगर सवंत 2061 से 2064 व सवंत 2065 से 2068 प्रस्तुत की।

प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुये अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना–पत्र में अकिंत तथ्यों का दोहराव करते हुये निवेदन किया कि वर्तमान राजस्व रिर्कोड जमाबंदी ग्राम जयनगर व खसरा मैप ग्राम जयनगर के अनुसार प्रार्थीगण के सहखातेदारी ख0सं0 135 व 136 मैगा हाईवे से लगते हुये है एवं प्रार्थीगण की सहखातेदारी के ख0सं0 143/1, 155 वगेरह में पहुंच के लिये कोई वेक्लपिक मार्ग राजस्व रिर्कोड अनुसार उपलब्ध नही है व वर्तमान में प्रार्थना–पत्र में अकिंत रास्ते से ही

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

आता जाता है इसलिये प्रार्थना–पत्र में वाछिंत अनुतोष दिया जावे।जवाब बहस में पैराकार सरकार ने उनकी नवीत्तम रिर्पोट अनुसार रास्ता दिये जाने का निवेदन किया ख0सं0 143/1 रकबा 0.13 हैक्ट0 का सृजन नियमतः उचित नही होना बताया।

बहस उभयपक्ष सुनकर पत्रावली का अवलोकन व मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण के ग्राम जयनगर स्थित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 135,136 मैगा हाईवे से लगवा है अर्थात इन खसरा नम्बरान को रास्ता उपलब्ध है व ग्राम जयनगर स्थित उसकी शेष खातेदारी खसरा संख्या 155, 156, 156/296 वगेरह जो कि ख0सं0 135 की उत्तरी सीमा से लगवा दो सिवायचक खसरा नम्बरान क्रमशः 141 व 142 होने से उपयुक्त वैकल्पिक मार्ग उपलब्धतता से वंचित है। अर्थात प्रार्थी की खातेदारी भूमि के कुछ खसरे जो रास्ते पर है के बाद सिवायचक भूमि आ जाने से शेष खातेदारी भूमि रास्ते से वचिंत हो गयी है। यह भी संभव है कि प्रार्थीगण ने सिवायचक भूमि से होते हुये अपनी दोनो खातेदारी भूमियों को रास्ते से जोडने के लिये पूर्व में ख0सं0 143 मे से आंशिक रकबा क्रय किया हो।

अतः प्रार्थीगण (वर्तमान खातेदारान प्रार्थी संख्या 2 लगायत 4) का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियत की धारा 251 (क) एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक 4.3(17) राज–6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30.09.2021 के अनुसार ग्राम जयनगर स्थित उसकी सहखातेदारी भूमि 135 की उत्तरी पूर्वी मेड़ से सिवायचक खसरा सं0 141 की पूर्वी मेड के दक्षिणी सिरे से सिवायचक ख0सं0 141,142 की ख0सं0 40 से लगती हुई पूर्वी सीमा पर मेड़ के सहारे–सहारे 20 फीट रास्ता ख0सं0 143 पूर्वी सीमा के अतिंम दक्षिणी छोर तक जो कि राजस्व रिर्कोड में सलंग्न नक्शा ट्रेस में लाल रगं से प्रदर्शित अनुसार कायम करने का आदेश दिया जाता है रास्ते से प्रभावित ख0सं0 141 कुल रकबा 0.36 हैक्ट0 मे से 0.048 हैक्ट0 व सिवायचक ख0सं0 142 रकबा 0.37 हैक्ट0 में से 0.05 हैक्ट0 कुल प्रभावित भूमि 0.098 हैक्ट0 के बदले प्रभावित डी0एल0सी0 दर की दुगुनी दर से कुल राशि 4,48,600 /– रूपये जरिये चालान राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है खसरा सं0 135 प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि होने तथा तहसीलदार रिर्पोट अनुसार प्रार्थीगण के इस पर काबिज होने तथा खसरा सं0 143 से ख0सं0 143/1 का सृजन अवैधानिक होने से प्रारंभतः शून्य होने के कारण वर्तमान ख0सं0 143/1 को 143 में समाहित

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

मा॰ते हुए प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि हो जाने से इन ख0सं0 (135 व 143) में से पृथक रास्ता कायम नही किया गया।परन्तु प्रार्थीगण का यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि इन दोनो ख0सं0 से रास्ता उपयोग भविष्य में कोई बाधा उत्पन्न हो तो वे पुनः न्यायालय हाजा में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना–पत्र कर सकेगें तहसीलदार इन्द्रगढ व पैरोकार सरकार को निर्देशित किया जाता है कि वो ग्राम जयनगर के मूल ख0सं0 143 कुल रकबा 0.43 हैक्ट0 में से तोडकर सृजित किये गये नवीन ख0सं0 143/1 कुल रकबा 0.13 हैक्ट0 जो कि नियमतः गलत सृजित किया गया है जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी में पृथक से प्रार्थना–पत्र पेश कर रिर्कोड व नक्शे में दुरूस्त करावे व उक्त आदेशानुसार राजकोष में राशि जमा होने पर नियमतः राजस्व रिर्कोड में रास्ते का अमल मौके पर रास्ता कायम करे।।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बूंदी)